न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 60/2018 जिला सीकर ।

1. श्रवण कुमार एडवोकेट पुत्र देवूराम जाति जाट निवासी दादिया, तहसील व जिला सीकर ।
2. सुल्तान सिंह पुत्र जयनारायण जाति जाट निवासी दादिया तहसील व जिला सीकर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सीकर।
2. गिरधारी सिंह
3. धर्मवीर सिंह
4. मोहनलाल
5. राजेश पुत्रान त्रिलोक
6. भगवानसिंह दतक पुत्र कानाराम जाति जाट समस्त निवासी दादिया तहसील व जिला सीकर।
7. सरपंच ग्राम पंचायत दादिया।

रेस्पॉडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 29.06.2018 अन्तर्गत धारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. वकील रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4, 6, 7 अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक–02.02.2021

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 29.06.2018 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 30.10.2018 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार सीकर ने ग्राम दादिया, तहसील व जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 545, 546, 547 एवं 537 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी सीकर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प.3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं नवीनतम आदेश संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर के पत्र कमांक प. 3(2) राज'6/2003/पार्ट/13 दिनांक 24.10.2017 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक राजस्व 17/4881–98 दिनांक 25.10.2017 के द्वारा दिये गये निर्देश की पालना में ग्राम दादिया के खसरा नम्बर 545 रकबा 2.12 है0 मे से 0.03 है0, खसरा नम्बर 546 रकबा 2.13 है0 मे से 0.07 है0, खसरा नम्बर 547 रकबा 1.10 है0 मे से 0.10 है0 एवं खसरा नम्बर 537 रकबा 4.33 है0 में से 0.04 है0 का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने हेतु राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करते हुये गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये।
2. न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 29.06.2018 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंटन संख्या 2 से 7 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। रेस्पोडेंट 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि ग्राम दादिया, तहसील सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 545 व 546 के अपीलांट खातेदार है एवं खसरा नम्बर 537 व 547 के रेस्पोडेंट 2 से 6 खातेदार है। उनका कहना है कि पटवारी हल्का दादिया ने पटवार घर पर बैठे–बैठे ही रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है। आराजी खसरा नम्बर 545 व 546 के खातेदार है में कभी कोई रास्ता न है न कभी रहा। ऐसी स्थिति में प्रार्थीयान की उपस्थिति में जांच होनी चाहिये थी। यही नही खसरा नम्बर 546 का खातेदार देबूराम फोत हो गया था के कायम मुकाम अपीलांट नं0 01 को बिना पक्षकार बनाये मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश देने में गंभीर भूल की है। विवादित भूमि पर प्रार्थीयान की फसल खडी है एवं आदेश के पूर्व में भी फसल थी। रेस्पोडेंट संख्या 02 से 6 आराजी खसरा नम्बर 537, 547, 534, 535 के खातेदार है व उनका आनजान हमेशा से खसरा नम्बर 534, 535 से 537 के मध्य से है एवं खसरा नम्बर 534 के उत्तर में स्थित रास्ते से आते है। उक्त रास्ता कभी भी खसरा नम्बर 537 व 547 के उत्तर में नही है एवं नया रास्ता कायम करने में अधिनस्थ न्यायालय में भी अधिकार निहित नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार के प्रस्ताव को अकाट्य प्रमाण मानकर प्रभावित खातेदारो को नोटिस न देकर निर्णय देने में गंभीर भूल की है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2018 को निरस्त किया जावे । अधिवक्ता अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.06.2018 का है लेकिन अपीलांट के विधिक अज्ञानता के कारण अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधिनस्थ न्यायालय की जानकारी दिनांक 16.10.2018 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्रम दादिया तहसील व जिला सीकर में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 545, 546, 547 एवं 537 के खातेदारों की भूमियों में से होकर रास्ता जाने के कारण नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाते हुये रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव दिनांक 29.12.2017 को तहसीलदार सीकर ने रिपोर्ट पटवारी हल्का दादिया, नजरी नक्शा एवं जमाबन्दी की प्रति संलग्न् कर उप खण्ड अधिकारी सीकर को प्रेषित की थी जिस पर उप खण्ड अधिकारी सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2018 पारित कर विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के ओदश दिये गये हैं। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

6. पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हत उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व तहसीलदार सीकर के प्रस्ताव दिनांक 29.12.2017 के अनुसार ग्राम दादिया, तहसील व जिला सीकर में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 545 रकबा 2.12 है0 में से 0.03 है0,

(सेवा राम सैनी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 546 रकबा 2.13 है0 में से 0.07 है0, खसरा नम्बर 547 रकबा 1.10 है0 में से 0.10 है0 एवं खसरा नम्बर 537 रकबा 4.33 है0 में से 0.04 है0 प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के तहसीलदार सीकर ने उपखण्ड अधिकारी सीकर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2018 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलान्ट प्रश्नगत अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2018 से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार प्रभावित पक्षकारो को नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2018 निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी सीकर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात से प्रभावित पक्षकारो की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।
8. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 02.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner